

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 1/2018 (75 एलआरए) पुखराज वगै. बनाम सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00009)

- 1 पुखराज पुत्र श्री किशनाराम,
- 2 बलदेवराम पुत्र श्री किशनाराम,
- 3 राजूराम पुत्र श्री किशनाराम,
- 4 श्रीमती संध्या पुत्री श्री रामसुख पत्नी कैलाश
जातियान विश्‍नोई निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।
- 2 उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
दिनांक 04.07.2017 अंतर्गत राजस्व प्रकरण सं. 1/2017

उपस्थित :

- 1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डारा।
- 2 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व प्रकरण सं. 1/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की आवासीय भूमि ग्राम कापरडा पंचायत कापरडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के खसरा नं. 16/1 कुल रकबा 3998.39 वर्गमीटर में से 607.03 वर्गमीटर भूमि का

पुनरीक्षित संपरिवर्तन वाणिज्यिक (दुकान/ढाबा/रेस्तरां) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा में दिनांक 09.01.2017 को पेश किया। अपीलार्थी को सुने बगैर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 के जरिए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है।

- 3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पो. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
 - 4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डारा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश होने की तिथि से आगामी 60 दिन की अवधि में अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना था ऐसा न किए जाने की सूरत में स्वीकारण पत्रावली जिला कलक्टर को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी चाहिए थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निर्धारित समयावधि के पश्चात खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपीलार्थी को सुनवाई का माकूल अवसर ही नहीं दिया एवं पत्रावली को बाला-बाला निर्णित कर दाखिल दफ्तर कर दिया एवं निर्णय के बारे में अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज कर रूपांतरण आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया।
- अपीलांट द्वारा धारा-5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 08.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जाने से हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।
- 5 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी, ने बहस में कथन किया कि संपरिवर्तन नियमों के तहत अपीलांट्स/प्रार्थीगण को अपने



28/6
राजस्व वसुल प्राधिकारी
बोधपुर

प्रार्थना पत्र के साथ संपरिवर्तन का शुल्क जमा कराना आवश्यक था। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का संपरिवर्तन शुल्क जमा नहीं करवाया था इस कारण संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र प्रारंभ से ही अपूर्ण था। अपूर्ण आवेदन पर किसी प्रकार की समयावधि लागू नहीं होती है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 465 दिनांक 15.03.2017 एवं 752 दिनांक 23.05.2017 को जारी किए गए उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन शुल्क नहीं जमा कराया न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। यदि अपीलांट के कथन पर भी विश्वास किया जावे कि निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था तो अपीलांट को निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर स्वयं भी जानकारी की जानी चाहिए थी जो अपीलांट की ओर से प्रकरण जानबूझकर देरी करने का द्योतक है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है। क्योंकि अपीलांट को प्रारंभ से ही यह जानकारी थी कि उसे संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाया जाना चाहिए था तो उसकी ओर से इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी अपूर्ण आवेदन पत्र को संपरिवर्तन शुल्क जमा करके पूर्ण करवाना चाहिए था। अतः अपीलांट का धारा-5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।



- 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 इस प्रकरण में अपील मियाद बाहर है क्योंकि संपरिवर्तन के प्रकरण का निस्तारण करने की एक अवधि निर्धारित होती है। यदि संपरिवर्तन नहीं हुआ था तो संपरिवर्तन की निर्धारित अवधि 30 दिन से काफी अधिक समय व्यतीत होने के बाद 10 महीने पश्चात अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को होने के तथ्य पर बिना किसी ठोस कारण के विश्वास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 465 दिनांक 15.03.2017 एवं 752 दिनांक 23.05.2017 को जारी किए गए उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन शुल्क नहीं जमा कराया न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। इससे अपीलांट की ओर से

अपील सं. 1/2018 (75 एलआरए) पुखराज वगै. बनाम सरकार

जानबूझकर देरी किया जाना पाया जाता है। अतः अपील मियाद बाहर होने से धारा-5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपील को मैरिट पर देखने से भी यह स्पष्ट है कि प्रकरण में संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र के साथ संपरिवर्तन शुल्क जमा नहीं करवाया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र अपूर्ण प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। अपूर्ण प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर को अग्रेषित करने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि ऐसे प्रार्थना पत्र में संपरिवर्तन शुल्क जमा कराए जाने के बाद ही निर्णय करने के लिए समयावधि लागू होती है। स्वयं अपीलांत द्वारा कोई संपरिवर्तन शुल्क जमा नहीं करवाया है जो कि अपीलांत का दायित्व था। यदि कुछ संपरिवर्तन शुल्क जमा करवा दिया होता व शेष यदि कोई संपरिवर्तन शुल्क जमा कराना होता तो उसके लिए ही नियमों में नोटिस जारी करने का प्रावधान है। बिना संपरिवर्तन शुल्क के प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलांत मैरिट पर भी खारिज योग्य है।

- 8 अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 यथावत रखा जाता है।



- 9 निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18
(बास्तराम) प्राधिकारी
जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

28/6/18
(बास्तराम) प्राधिकारी
जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर